

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनलाल

बनाम

शंकरलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 154/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रतनलाल

पिता श्री जाना गुजर

निवासी- ओहड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

ओहड़ी स्थित ^{सह}खातेदारी की आराजी नम्बर 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240

कुल कीता 7 कुल रकबा 1.5900 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के ^{सह}खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओहड़ी स्थित ^{सह}खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240

कुल कीता 7 रकबा 1.5900 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500=00 रुपये अक्षरे एक हजार पचास प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़